

निर्णय दिनांक 27-11-2017

अपील सं. 33/2016

सवराम बनाम संगाराम वर्गाह

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालौर

27-11-17

अपीलांत के वकील अनुपस्थित / रिपॉन्डेंट गण
के वकूलाय अनुपस्थित / अपीलांत के वकील व
अपीलांत को रक-रक कर तीन बार अवाजे
लगवाई गई / अपीलांत व उसके वकील उपस्थित
नहीं आये हैं। अतः अपीलांत की अपील
अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज
की जाती है। पत्रावली फैसल नुमा
नम्बर से कम को आदेश से इजलास सुनाया
गया।

~~अतिरिक्त जिला कलेक्टर~~
जालौर (राज.)